# न्यायालय सहायक कलक्टर, दीगोद (कोटा)

| उनवान संख्या | तारीख दायरा | तारीख फैसला |
|---|---|---|
| 109 / 19 | 09.09.2019 | 30.09.2019 |

पीठासीन अधिकारी -- जबर सिंह (R.A.S.)

## उनवान

सुरेश कुमार गौतम आत्मज बद्रीलाल जाति ब्राह्मण निवासी झाडगांव तहसील दीगोद हाल निवासी म0नं0 3-ए-12 महावीर नगर, विस्तार योजना कोटा जिला कोटा राज0

-वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा राज0
2. मोहनलाल आत्मज बद्रीलाल
3. बनवारी लाल आत्मज बद्रीलाल
4. रमेशचन्द आत्मज बद्रीलाल
5. कुजबिहारी आत्मज बद्रीलाल
6. नट्टी बाई पत्नी स्व0 बद्रीलाल जाति ब्राह्मण निवासीगण झाडगांव तहसील दीगोद

-प्रतिवादीगण

### वाद अन्तर्गत धारा 88-89 आर0टी0एक्ट

उपस्थित- श्री रामबाबू दाधीच एडवोकेट वादी की ओर से

- श्री ललित मालव एडवोके प्रतिवादी नं0 2 लगायत 6 की ओर से

### निर्णय

वादी ने वाद विरूद्ध प्रतिवादी अन्तर्गत धारा 88-89 आरटीएक्ट इस आशय के साथ पेश किया कि ग्राम झाडगांव तहसील दीगोद जिला कोटा में वादी व प्रतिवादी नं0 2 लगायत 6 की खातेदारी आराजी खसरा नं0 [illegible] रकबा 1.30 हे0 भूमि स्थित चली आ रही है। वादी का नाम उक्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में सुरेशचन्द दर्ज है जो कि वादी का वास्तविक नाम नहीं है जबकि वादी का वास्तविक नाम सुरेश कुमार है तथा वादी को सुरेश कुमार के नाम से ही जाना जाता है। ग्राम [illegible] तहसील दीगोद स्थित खसरा नं0 14 रकबा 5.45 हे0 खसरा नं0 [illegible] रकबा 1.20 हे0 भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम पूर्व में सुरेन्द्र कुमार पुत्र बद्रीलाल अंकित था जो न्यायालय आदेश से दुरूस्त किया जाकर सुरेश कुमार पुत्र बद्रीलाल किया जा चुका है। इसी प्रकार ग्राम [illegible] तहसील दीगोद स्थित खाता नं0 87 सं0 2073-76 में वादी का नाम सुरेश कुमार ही अंकित है। जिससे वादी का नाम विवादित आराजी के राजस्व रिकॉर्ड में भी सुरेश कुमार किया जाना आवश्यक है ताकि राजस्व रिकॉर्ड के सभी खातों में वादी का नाम समान हो सके। विवादित भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम सुरेशचन्द दर्ज होने से वादी को

पहचान के दस्तावेजों आधार कार्ड, पेन कार्ड आदि में सुरेश कुमार दर्ज है। इस कारण वादी का नाम सुरेशचन्द के स्थान पर सुरेश कुमार दर्ज किया जाना आवश्यक है। वाद कारण दिनांक 30.08.2019 को वादी द्वारा प्रतिवादी से मौखिक निवेदन करनें एवं उनके द्वारा इंकार करनें पर उत्पन्न हुआ।

वाद पेश कर वादी ने निवेदन किया है कि वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के खिलाफ निम्न आशय की आज्ञा व डिक्री पारित की जावें कि– ग्राम झाडगांव तहसील दीगोद जिला कोटा स्थित ख0नं0 100 रकबा 1.89 हे0 भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम सुरेशचन्द के स्थान पर सुरेश कुमार दर्ज किये जानें व राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती किये जानें की आज्ञा व डिक्री पारित की जावें। प्रतिवादी को आदेशित दिया जावें कि वे उपरोक्त प्रकार से राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर पालना रिपोर्ट भिजवावें। वाद व्यय व अन्य सहायता हो वह भी वादी को प्रदान की जावें।

दस्तावेजी साक्ष्य में निम्न दस्तावेजात् प्रस्तुत किये–

1. प्रतिलिपि जमाबंदी ग्राम झाडगांव सं0 2073–76 खाता नं0 72
2. प्रतिलिपि जमाबंदी ग्राम चौपडखेडी सं0 2072–75 खाता नं0 82
3. प्रतिलिपि जमाबंदी ग्राम मदारिया सं0 2073–76 खाता नं0 87
4. छायाप्रति आधार कार्ड सुरेश कुमार गौतम पुत्र बद्रीलाल
5. छायाप्रति पेन कार्ड सुरेश कुमार गौतम पुत्र बद्रीलाल
6. शपथ पत्र सुरेश कुमार पुत्र बद्रीलाल आयु 50 वर्ष जाति ब्राह्मण निवासी झाडगांव तहसील दीगोद हाल निवासी म0नं0 3–ए–12 महावीर नगर, विस्तार योजना कोटा जिला कोटा राज0
7. शपथ पत्र बनवारी लाल पुत्र बद्रीलाल आयु 64 वर्ष जाति ब्राह्मण निवासी झाडगांव तहसील दीगोद हाल निवासी म0नं0 3–ए–10 महावीर नगर, विस्तार योजना तलवण्डी कोटा जिला कोटा राज0
8. शपथ पत्र रमेशचन्द पुत्र बद्रीलाल आयु 62 वर्ष जाति ब्राह्मण निवासी झाडगांव तहसील दीगोद हाल निवासी म0नं0 3–ई–28 श्रीनाथपुरम रोड महावीर नगर विस्तार योजना कोटा जिला कोटा राज0

वाद वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलबी हेतु सम्मन जारी किये गये। प्रतिवादी नं0 2 लगायत 8 की ओर से जरिये अधिवक्ता प्रकरण में इकबालदावा जवाब प्रस्तुत कर वादी का नाम विवादित आराजी वाके ग्राम झाडगांव में वादी का नाम सुरेशचन्द के स्थान पर सुरेश कुमार दुरूस्त किया जाने में समस्त सहखातेदारान द्वारा आपत्ति प्रकट नहीं करते हुए वादी का वाद प्रार्थना अनुसार डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

उभयपक्ष को अपने–अपने साक्ष्य, शहादत आदि प्रस्तुत करने के पर्याप्त एवं युक्तियुक्त अवसर दिये तदुपरान्त बाद साक्ष्य हमने उभयपक्ष की बहस का श्रवण किया गया। उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्कादि पर विचार किया। साथ संलग्न पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया

अवलोकन किया। ग्राम झाडगांव स्थित विवादित आराजी ख0नं0 100 रकबा 1.89 है0 भूमि में वादी का नाम सुरेशचन्द पुत्र बद्रीलाल अंकित है, जबकि ग्राम मदारिया स्थित खाता नं0 87 में वादी का नाम सुरेश कुमार पुत्र बद्रीलाल अंकित है तथा ग्राम चोपडखेडी स्थित खाता नं0 82 में वादी का नाम न्यायालय आदेश से सुरेन्द्र कुमार पुत्र बद्रीलाल के स्थान पर दुरूस्त करते हुए सुरेश कुमार पुत्र बद्रीलाल किया गया है जो पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से प्रमाणित है। वादी की ओर से प्रस्तुत छायाप्रति आधार कार्ड व पेन कार्ड में वादी का नाम सुरेश कुमार पुत्र बद्रीलाल ही अंकित है। विवादित आराजी के सहखातेदारान प्रतिवादी नं0 2 लगायत 6 ने अपने जवाब में वादी का नाम सुरेशचन्द के स्थान पर सुरेश कुमार किये जाने की सहमति प्रकट की है तथा सहखातेदार बनवारी लाल पुत्र बद्रीलाल व रमेशचन्द पुत्र बद्रीलाल ने स्वय के शपथ पत्र प्रस्तुत कर वादी का नाम सुरेश कुमार होने के कथन करते हुए वादी का नाम विवादित आराजी के राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त किये जाने की सहमति जाहिर की है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात, शपथ पत्र, सहखातेदारान द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र व सहमति अनुसार वादी का वास्तविक नाम सुरेश कुमार होना प्रकट होता है। जिससे वादी का नाम विवादित आराजी के राजस्व रिकॉर्ड मे दुरूस्तनीय है।

परिणामतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि विवादित आराजी वाके ग्राम झाडगांव तहसील दीगोद जिला कोटा स्थित ख0नं0 100 रकबा 1.89 है0 भूमि के राजस्व रिकॉर्ड मे वादी का नाम सुरेशचन्द पुत्र बद्रीलाल के स्थान पर सुरेश कुमार उर्फ सुरेशचन्द पुत्र बद्रीलाल जाति ब्राह्मण दर्ज किया जावे, शेष यथावत् रहेगा। तदनुसार डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 30/09/2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(जबर सिंह)
सहायक कलक्टर,
दीगोद

Scanned by CamScanner

अंतिम डिक्री मुकदमा
(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत न्यायालय सहायक कलक्टर दीगोद जिला कोटा

## उनवान

सुरेश कुमार गौतम आत्मज बद्रीलाल जाति ब्राह्मण निवासी झाडगांव तहसील दीगोद हाल निवासी म0नं0 3–ए–12 महावीर नगर, विस्तार योजना कोटा जिला कोटा राज0

–वादी

## बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा राज0
2. मोहनलाल आत्मज बद्रीलाल
3. बनवारी लाल आत्मज बद्रीलाल
4. रमेशचन्द आत्मज बद्रीलाल
5. कुंजबिहारी आत्मज बद्रीलाल
6. नट्टी बाई पत्नी स्व0 बद्रीलाल जाति ब्राह्मण निवासीगण झाडगांव तहसील दीगोद

–प्रतिवादीगण

## वाद अन्तर्गत धारा 88–89 आर0टी0एक्ट

मिसल नम्बर–109 / 19

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू मुझ जवर सिंह आर.ए.एस. बहाजिरी श्री रामबाबू दाधीच एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई रुबरु श्री ललित मालव एडवोकेट मिनजानिब मुद्दालयह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि "वाद वादी स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि विवादित आराजी वाके ग्राम झाडगांव तहसील दीगोद जिला कोटा स्थित ख0नं0 100 रकबा 1.89 है0 भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम सुरेशचन्द पुत्र बद्रीलाल के स्थान पर सुरेश कुमार उर्फ सुरेशचन्द पुत्र बद्रीलाल जाति ब्राह्मण दर्ज किया जावें, शेष यथावत् रहेगा।" तदनुसार अंतिम डिक्री जारी की जाती है।

मेरे दस्तख्त व मोहर अदालत से आज दिनांक 30 /09/2019 को जारी किया गया।

| मिलान स्टाम्प अर्जी दावा | | | स्टाम्प अर्जी दावा | | |
|---|---|---|---|---|---|
| मुदई | रुपये | पैसे | मुदालयह | रुपये | पैसे |
| स्टाम्प वकालतनामा | 0 | 0 | स्टाम्प अर्जी | 0 | 0 |
| स्टाम्प वजूह सबूत | 0 | 0 | स्टाम्प अर्जी | 0 | 0 |



Scanned by CamScanner

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| महन्ताना वकील | 0 | 0 | महन्ताना वकील | 0 | 0 |
| खर्चा गवाहान | 0 | 0 | खर्चा गवाहान | 0 | 0 |
| बाबत इजराय हुक्मनामा | 0 | 0 | बाबत इजराय हुक्मनामा | 0 | 0 |
| मुत0 | 0 | 0 | मुत0 | 0 | 0 |
| मिलान | 0 | 0 | मिलान | 0 | 0 |

खर्चा उभय पक्ष अपना–अपना वहन करेंगे।

(जवर सिंह)
सहायक कलक्टर,
दीगोद

Scanned by CamScanner